

# बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना

## 1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य के एड्स रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

## 2. निधि का संवितरण

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है।

## 3. देय राशि

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना एक मासिक सहायता कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत एड्स रोगी को प्रति माह रुपये 1500/- की सहायता दी जाती है।

## 4. पात्रता

18 वर्ष या अधिक आयु के एड्स रोगी बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत आच्छादित होंगे।

## 5. प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन बिहार राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी में जमा किया जाता है।

## 6. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना में एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

## 7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अनुश्रवण हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत हैं। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।

## 8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है।